

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/~~—~~/18, लखनऊ : दिनांक : 22 अक्टूबर-2018,

--: आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह नवम्बर-2018 में दिनांक 12.11.18, 13.11.18 व 14.11.18 तक पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे साथ श्रीमती मीना श्रीवास्तव, एच0जे0एस0, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-गोरखपुर व श्री अम्बेश श्रीवास्तव, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 इलाहाबाद सम्मिलित होंगे।

उक्त गठित पूर्ण पीठ में मुख्यालय पर लम्बित अपीलों के अतिरिक्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ के पत्रांक- 68/18 दिनांक 02.02.18 में उल्लिखित द्वितीय अपील संख्या क्रमशः 429/14 वर्ष 07-08 धारा-28(2), 430/14 वर्ष 07-08 नियम-41(8), 431/14 वर्ष 06-07 नियम-41(8) तथा 432/14 वर्ष 08-09 धारा-28(2) सर्वश्री भाटिया एल्यूमिनियम, 7-एम0आई0जी0, मोतीझील, ऐशबाग रोड, लखनऊ तथा सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय लखनऊ के पत्रांक-966/18 दिनांक 09.08.18 में उल्लिखित द्वितीय अपील संख्या-499/2017 वर्ष 2010-11 स0/ब0 सर्वश्री मघानीज ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, अलीगंज, लखनऊ भी सुनवाई/निस्तारण हेतु नियत की जायें।

तदनुसार सम्बन्धित पीठ कार्यालय को सूचित किया जाये।

ह0-22.10.18

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/2230/2018, तद्दिनांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-गोरखपुर / पीठ-2 इलाहाबाद।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम/द्वितीय लखनऊ।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।